



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग
सम्पदा भवन, हॉस्टल क्र. 04, पिपलानी, भोपाल – 462022
संपर्क: 07552503043/3271/5757/5645

(खुली निविदा)

निविदा क्र. TAD/SC/Shops/2025-26

दिनांक: 24/05/2025

विषय: बीएचईएल, लोक परिसर, भोपाल में लाइसेंस के तहत केवल उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की अवधि हेतु दुकान में आवश्यक एवं सामान्य व्यवसाय हेतु अस्थाई अनुमति संबंधी।

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल के विभिन्न मार्केट में रिक्त दुकान/भवन में आवश्यक एवं सामान्य व्यवसाय संचालित किये जाने हेतु इच्छुक व पात्र व्यक्ति/संस्था से खुली निविदा (Open Tender) प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दो भाग (तकनीकी बिड व वाणिज्यिक बिड) प्रणाली के अंतर्गत खोली जाएंगी। तकनीकी रूप से सफल आवेदक (Bidder) की ही वाणिज्यिक निविदा (प्राइस बिड) खोली जाएगी, तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धृत (quote) करने वाले (H-1) आवेदक (Bidder) को लाइसेंस आधार पर अस्थाई अनुमति प्रदान की जायेगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश, आवेदन प्रपत्र, तकनीकी मापदंड, वाणिज्यिक बिड का प्रारूप, निबंधन एवं शर्तें, संबंधित परिशिष्ट, आदि की जानकारी/ दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

तालिका 1

क्र.	दस्तावेज/प्रारूप	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
1	दुकानों एवं आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क तथा धरोहर राशि का विवरण	परिशिष्ट 1	2-4
2	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा- निर्देश	परिशिष्ट 2	5-6
3	आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट 3	7
4	निबंधन एवं शर्तें	परिशिष्ट 4	8-9
5	तकनीकी निविदा	परिशिष्ट 5	10
6	वाणिज्यिक निविदा	परिशिष्ट 6	11
7	पूर्ववर्ती (antecedent) संबंधी घोषणा पत्र	परिशिष्ट 7	12
8	NEFT/RTGS हेतु बीएचईएल के बैंक खाते का विवरण	परिशिष्ट 8	13
9	आदर्श लाइसेंस अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 9	14-20
10	जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	परिशिष्ट 10	21-25

बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित विभिन्न सेक्टर मार्केटों में लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार के आधार पर आवश्यक/ सामान्य व्यवसाय संचालन किए जाने के लिये अस्थाई आवंटन किए जाने हेतु खुली निविदा के अंतर्गत दो बिड (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) प्रणाली में आवेदक (Bidder) से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित किए जाने हेतु रिक्त दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका – 2 (आवश्यक व्यवसाय)

क्र.	बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित क्षेत्र /मार्केट का नाम	दुकान नं.	श्रेणी / आरक्षित/ अनारक्षित	दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित मासिक लाइसेन्स शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)
1	Shashtri Market, A Sector, Piplani	23	UR	267	4010	12030
2	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	8	UR	96	1450	4350
3	Near Chandmari slum Area, B Sector Piplani	Shade	UR	818	12290	36870
4	Old Police Chawki, D Sector, Piplani	28	UR	265	3980	11940
5	Nehru Market, E sector, Berkhera	20	UR	150	2520	7560
6	Nehru Market, E Sector, Berkhera	36	UR	150	2520	7560
7	Nehru Market, E Sector, Berkhera	132	UR	150	2520	7560
8	Bhagat Singh Market, 'C'-Sector, Govindpura	12	UR	394	4820	14460
9	Old Subhash Market, D Sector, Govindpura	5	UR	368	3990	11970
10	Kasturaba Market, Habibganj	K2	UR	150	1730	5190
11	Kasturaba Market, Habibganj	34	UR	333	3850	11550

UR: Unreserved (अनारक्षित)

नोट:- कृपया आवश्यक व्यवसाय के चयन हेतु तालिका – 3 का अवलोकन करें।

तालिका – 3

आवश्यक व्यवसाय का विवरण			
1	Bank ATM	10	Kirana (Grocery Shop)
2	Bekary	11	LPG gas Agency office
3	Chemist & druggist	12	Laundry (Washerman/Drapers)
4	Cycle & Two-wheeler Repairing	13	Milk Booth
5	Fair price shop	14	Seed Shop
6	Flour mill/ Wet Grinding	15	Sewing machine repair
7	Hair cutting (barber)	16	Shoe Maker/repair
8	Kerosin oil	17	Stove repairing
9	Khadi Bhandar		

तालिका – 4 (सामान्य व्यवसाय)

क्र.	बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित क्षेत्र /मार्केट का नाम	दुकान नं.	श्रेणी / आरक्षित/ अनारक्षित	दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित मासिक लाइसेन्स शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)
1	Shashtri Market, A Sector, Piplani	23	UR	267	7220	21660
2	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	8	UR	96	2600	7800
3	Near Chandmari slum Area, B Sector Piplani	Shade	UR	818	22120	66360
4	Old Police Chawki, D Sector, Piplani	28	UR	265	7170	21510
5	Nehru Market, E sector, Berkhera	20	UR	150	4530	13590
6	Nehru Market, E Sector, Berkhera	36	UR	150	4530	13590
7	Nehru Market, E Sector, Berkhera	132	UR	150	4530	13590
8	Bhagat Singh Market, 'C'-Sector, Govindpura	12	UR	394	8680	26040
9	Old Subhash Market, D Sector, Govindpura	5	UR	368	7180	21540
10	Kasturaba Market, Habibganj	K2	UR	150	3120	9360
11	Kasturaba Market, Habibganj	23	UR	333	6920	20760

UR: Unreserved (अनारक्षित)

तालिका – 5 (सामान्य व्यवसाय)

क्र.	बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित क्षेत्र /मार्केट का नाम	दुकान नं.	श्रेणी / आरक्षित/ अनारक्षित	दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित मासिक लाइसेन्स शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)
1	Flour Mill Area, in front of Qtr. No. 394 D2 D Sector, Piplani	12	ST	119	3220	9660
2	Gandhi Maraket (24 shops), A Sector, Piplani	24	UR	150	8950	26850
3	Azad Hind Market, B Sector, Govindpura	4D	SC	312	6870	20610
4	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	11	ST	96	2600	7800
5	Indra Market, D Sector, Piplani	9	OBC	150	3310	9930
6	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	6	SC	96	2600	7800
7	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	7	ST	96	2600	7800
8	Flour Mill Area, in front of Qtr. No. 394 D2 D Sector, Piplani	14	OBC	193	5230	15690
9	Near Ram mandir, B Sector, Piplani	5	UR	96	2600	7800
10	Flour Mill Area, in front of Qtr. No. 394 D2 D Sector, Piplani	28	ST	185	5010	15030
11	Shashtri Market, TRT, B Sector, near Bus stop, Govindpura	14	UR	150	3310	9930

UR: Unreserved; SC: Scheduled Caste; ST: Scheduled Tribe; OBC: Other Backward Class

नोट:- कृपया सामान्य व्यवसाय के चयन हेतु तालिका – 6 का अवलोकन करें।

तालिका – 6

सामान्य व्यवसाय का विवरण :					
1	Bartan bhandar (utensils)	12	Flower Shop	23	Photo Studio
2	Beauty Parlor	13	General Store	24	Pooja Store
3	Book Shop	14	Gift Shop	25	Printing/Screen Printing Shop
4	Cattle feed	15	Hardware Shop	26	Restaurant & Refreshment Shop
5	Cloth Store	16	Home Appliances	27	Share investment
6	Cotton Shop	17	Internet café	28	Shoe Shop
7	Cycle Store	18	Jewellery Shop	29	Stationary Shop
8	Dr/ Clinic	19	Office work	30	STD/PCO
9	Electrical Goods	20	Pan Bidi Shop	31	Typing Institute
10	Electronic Goods	21	Photo copy Shop	32	Tailoring Shop
11	Embroidery Shop	22	Photo framing Shop		

तालिका – 7

प्रतिबंधात्मक व्यवसाय:	
1	Liquor Shop
2	Casino & similar
3	Bar & Pubs
4	Dance bars
5	Night Clubs & like
6	Other activities/businesses which are illegal under Criminal Law.

वरि. प्रबंधक (नगर प्रशासन)

खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देशतालिका 8

क्र.	मुख्य बिन्दु	विवरण
1.	निविदा का उद्देश्य	बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त दुकानों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की अवधि हेतु आवंटन।
2.	निविदा क्र. एवं दिनांक	TAD/SC/Shops/2025-26 दिनांक 24/05/2025
3.	निविदा का प्रकार	खुली निविदा - दो भाग (तकनीकी व वाणिज्यिक) प्रणाली में
4.	निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का दिनांक एवं समय	दिनांक 24/05/2025 से 16/06/2025 तक समस्त कार्य दिवस पर प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक। (भोजन अवकाश दोपहर 12:00 बजे से 13:00 बजे तक) अथवा बी.एच.ई.एल. की वेबसाइट www.bhel.com से भी निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं।
5.	निविदा पूर्व बैठक का दिनांक व समय	10/06/2025 दोपहर 2:30 बजे
6.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, निविदा पूर्व बैठक, शंका-समाधान, आदि हेतु नियत स्थान	दुकान प्रकोष्ठ, प्रथम तल, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल।
7.	निविदा दस्तावेज का मूल्य	रुपये 1180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र जी.एस.टी. सहित) प्रति निविदा दस्तावेज (वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा) जिसके विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-5 में करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
8.	निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान एवं अंतिम दिनांक	सफेद रंग का निविदा बॉक्स, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, A-सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल, दिनांक 17/06/2025 दोपहर 2:00 बजे तक।
9.	तकनीकी निविदा खुलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 17/06/2025 दोपहर 3:30 बजे से, सम्मेलन कक्ष, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, ए सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल।
10.	धरोहर राशि (EMD) जमा का विवरण	तालिका 02, 04 एवं 05 अनुसार
11.	निविदा की वैधता	तकनीकी निविदा खुलने से 6 (छः) माह तक
12.	अस्थाई आवंटन की संभावित दिनांक	लाइसेंस अनुबंध की दिनांक से

- (1) निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव न करें। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव किया गया है तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- (2) पूर्णतः भरी हुई व आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी एवं वाणिज्यिक निविदा **अलग-अलग** लिफाफे में रखकर, लिफाफों पर **तकनीकी निविदा** तथा **“वाणिज्यिक निविदा”** लिखकर दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर लिफाफे को मुहरबंद करें।
- (3) प्रत्येक लिफाफे पर निविदा सूचना क्र. एवं दिनांक वांछित व्यवसाय, दुकान नं. तथा क्षेत्र का विवरण, आवेदक नाम एवं पता लिखकर मुहर/रबर स्टैम्प (यदि हो) लगाकर ही निविदा जमा करना होगा।
 - लिफाफा क्र. 1 में (क) निविदा हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट-3 (ख) आवंटन संबंधी निबंधन एवं शर्तें परिशिष्ट-4 (ग) तकनीकी निविदा परिशिष्ट-5 एवं निविदा संबंधी सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर (जो लागू हों) रखने होंगे।
 - लिफाफा क्र. 2 में पूर्ण रूप से भरी हुई केवल वाणिज्यिक निविदा परिशिष्ट-6 को रखें।
 - लिफाफा क्र. 3 में उपरोक्त दोनों लिफाफे को रख कर लिफाफे को मुहरबंद करें।
- (4) निविदा दस्तावेज (आवेदन पत्र, निविदा के निबंधन व शर्तें, तकनीकी एवं वाणिज्यिक निविदा आदि) सहमति स्वरूप आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, मुहर/रबर स्टैम्प (यदि हो) लगाकर जमा करना होगा जिसका तात्पर्य होगा निरंतर.....

कि आवेदक को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तें यथावत बिना किसी शर्त के स्वीकार हैं। प्राधिकृत व्यक्ति हेतु रुपये 100/- (एक सौ) मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।

- (5) आवेदक (Bidder) की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (6) आवश्यक व्यवसाय के चयन हेतु तालिका-3 एवं सामान्य व्यवसाय के चयन हेतु तालिका-6 का अवलोकन करें।
- (7) किसी भी दुकान हेतु आवश्यक या सामान्य व्यवसाय दोनों में से अधिकतम मासिक लाइसेन्स शुल्क उद्धृत (H1) (Maximum License Fee Quote) करने पर सफल आवेदक को आशय-पत्र जारी किया जाएगा।
- (8) दुकान की यथा स्थिति एवं इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु आवेदक दुकान का भौतिक निरीक्षण स्वयं कर लें। निविदा जमा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदक को दुकान की स्थिति की जानकारी है एवं यथास्थिति स्वीकार है।
- (9) आवेदक एक या अधिक दुकान हेतु निविदा जमा कर सकता है। प्रत्येक दुकान हेतु निविदा अलग-अलग जमा करनी होगी। धरोहर राशि का विवरण तालिका 2, 4 एवं 5 में प्रदत्त है। **संबन्धित दुकान हेतु लागू धरोहर राशि का भुगतान कर जमा का विवरण तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जाए। अन्यथा आवेदक की निविदा मान्य नहीं होगी।**
- (10) सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को अनुमति पत्र/आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किए जाने के पश्चात प्रतिभूति जमा में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष असफल आवेदकों के आवेदन पर उनकी धरोहर राशि (EMD) बिना ब्याज के लाइसेंस अनुबंध की प्रक्रिया से संभवतः छः माह के भीतर वापिस कर दी जाएगी। सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर ली जाएगी:
 - H-1 आवेदक द्वारा अनुमति पत्र/आशय पत्र (Letter of Intent) प्राप्त करने से पूर्व निविदा की शर्तों से मुकरने/अस्वीकार करने पर।
 - बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी अनुमति पत्र/आशय पत्र (Letter of Intent) की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस शुल्क, प्रतिभूति जमा, लागू कर (वर्तमान में जी.एस.टी.) आदि का भुगतान नहीं करने पर।
 - लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करने के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित कर कब्जा प्राप्त नहीं करने पर।
- (11) प्रतिभूति जमा बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित किन्हीं भी स्थिति में वापस की जा सकेगी :
 - लाइसेंस अनुबंध के नियम व शर्तों की संतोषजनक पूर्ति करते हुये लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर।
 - लाइसेंस समाप्ति/ निरस्तीकरण हेतु प्राप्त/जारी नोटिस के एक माह उपरांत।
 - बी.एच.ई.एल. की आवश्यकतानुसार स्थल खाली कारवाये जाने पर।
- (12) उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड, बकाया राशि, आदि का समायोजन वापसी योग्य प्रतिभूति जमा (सिक्युरिटी डिपॉजिट) से किया जाएगा।
- (13) निविदा दस्तावेज में आवेदक द्वारा प्रदत्त पता/ संपर्क सूत्र/ ई-मेल आई.डी./ आदि पर बी.एच.ई.एल. के प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी संदेश/ जानकारी/ सूचना आवेदक को वैसे ही प्राप्त मानी जाएगी जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई सूचना।
- (14) निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.bhel.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त करने की स्थिति में धरोहर राशि (EMD) के अतिरिक्त रुपये 1180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र जी.एस.टी. सहित) प्रति निविदा दस्तावेज शुल्क के भुगतान का विवरण (प्रमाण) तकनीकी निविदा के साथ सीलबंद लिफाफे में प्रदान करना होगा। निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का भुगतान किए बिना जमा की गई निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
- (15) धरोहर राशि (EMD), प्रतिभूति जमा (Security Deposit), लाइसेंस शुल्क, अर्थदण्ड, कर आदि का भुगतान निम्नलिखित माध्यम से बीएचईएल, भोपाल को देय होगा:
 - NEFT/RTGS (परिशिष्ट-8 के अनुसार)
 - SBI Collect (<https://www.onlinesbi.com/prelogin/collecthome.htm>)
 - Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन (राजस्व) विभाग में POS के माध्यम से देय।
- (16) उपर्युक्त निविदा संबंधी कोई भी संशोधन, त्रुटि, शुद्धि, आदि की सूचना बी.एच.ई.एल. की वेबसाइट www.bhel.com पर प्रदान की जाएगी। तकनीकी निविदा खुलने के दिनांक को यदि अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- (17) किसी भी या सभी निविदा(ओं) को बिना कोई लिखित कारण बताए अस्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार बी.एच.ई.एल. प्रबंधन को होगा।
- (18) निविदा प्रक्रिया संबंधी विवाद की स्थिति में अपर महाप्रबंधक (नगर प्रशासन) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत बी.एच.ई.एल. प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।

निविदा हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

वरि. प्रबंधक

नगर प्रशासन विभाग

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सम्पदा भवन, होस्टल नं. 4

पिपलानी, भोपाल - 462022 (म. प्र.)

आवेदक का स्व-
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार का
नवीनतम फोटो

विषय: बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त दुकानों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन।

क्षेत्र : _____ मार्केट का नाम _____

वांछित दुकान नं. _____ (तालिका 2, 4 एवं 5 अनुसार)

वांछित व्यवसाय (तालिका 3 एवं 6 अनुसार) _____ (आवश्यक या सामान्य)

1. आवेदक/कंपनी/संस्था का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____
2. कंपनी/संस्था की दशा में प्रोप्राइटर/डायरेक्टर का नाम _____
3. कंपनी/संस्था की दशा में के स्थापना का दिनांक _____ 4. स्थापना की वैधता दिनांक _____
5. आवेदक/प्रोप्राइटर/डायरेक्टर के कार्यालय का पूरा पता : _____
_____ पिन _____
5. आवेदक/प्रोप्राइटर/डायरेक्टर के निवास का पूरा पता : _____
_____ पिन _____
6. टेलीफोन नं. _____ मोबाइल नं. (1) _____ मोबाइल नं. (2) _____
7. आवेदक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ई-मेल आईडी _____
8. कंपनी/संस्था की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/व्यक्ति (यदि कोई) का नाम _____
टेलीफोन नं. _____ मोबाइल नं. (1) _____ मोबाइल नं. (2) _____
आईडी प्रूफ _____ आवेदक एजेंसी के साथ अनुभव _____
प्राधिकरण पत्र/शपथ पत्र क्र. _____ दिनांक _____
9. आवेदक द्वारा वांछित व्यवसाय का विवरण : _____

आवेदक की घोषणा :

1. मैंने निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लिया है जो कि मुझे स्पष्ट एवं स्वीकार्य हैं।
2. मैंने उपर्युक्त दुकान का निरीक्षण कर लिया है तथा दुकान को अपने व्यवसाय के प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाया है।
3. मैं जानता हूँ कि उपर्युक्त दुकान सांकेतिक है, यह दुकान वास्तविक सीमांकन कर प्रदाय किए जाने पर उपयोग में लाई जाएगी।

संतुलन: रुपये 100/-के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्राधिकार पत्र (लागू होने पर)

दिनांक : स्थान :

आवेदक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर एवं मुहर

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त दुकानों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर

आवंटन संबंधी निबंधन एवं शर्तें :

1. रिक्त दुकान का अस्थाई आवंटन लाइसेंस आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की सीमित अवधि हेतु 'जहां है - जैसा है' स्थिति के आधार पर किया जाएगा। दुकान के आवंटन उपरांत आवश्यक रखरखाव (Maintenance) हेतु जो आवश्यक है, निविदाकार को अपने स्वयं के खर्चे पर करना होगा। भविष्य में यदि दुकान पर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसकी समस्त जवाब देही निविदाकार की होगी।
2. लाइसेन्सी के आवेदन पर बीएचईएल के निर्णय अनुसार दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत किया जा सकेगा जिस हेतु उस समय विद्यमान मासिक लाइसेंस शुल्क लागू किया जाएगा।
3. वांछित व्यवसाय तालिका-3 एवं तालिका-6 में प्रदत्त सूची अनुसार होने पर ही आवंटन किया जाएगा। उपर्युक्त स्थल पर निषेधित अथवा प्रतिबंधित व्यवसाय जैसे कि शराब, कसिनो, बार, पब्स, डांस बार, नाईट क्लब, तथा क्रिमिनल लॉ/लागू विद्यमान नियमों के अंतर्गत अवैध व्यवसाय, आदि करने की अनुमति प्रदान नहीं दी जाएगी।
4. प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक एवं उच्चतम राशि उद्धृत करने वाले H-1 (Highest Bidder) आवेदक संबंधित दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र होगा, निविदा जमा करने के बाद वाणिज्यिक निविदा में उद्धृत (quoted) दर में किसी प्रकार का परिवर्तन/ संशोधन मान्य नहीं होगा। किसी दुकान हेतु (H-1) उच्चतम राशि समान होने की दशा में उन आवेदकों से वाणिज्यिक निविदा खुलने के दिनांक से 7 (सात) दिनों के भीतर पुनः मोहरबंद वाणिज्यिक निविदा मंगवाई जायेगी।
5. यदि आवेदक (Bidder) द्वारा आवश्यक व्यवसाय के लिये निविदा प्रस्तुत की जाती है और उस आधार पर दुकान आवंटित होती है तो किसी भी दशा में भविष्य में सामान्य व्यवसाय संचालित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि लाइसेन्सी द्वारा सामान्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा है तो लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
6. निविदा दस्तावेज में आवश्यक रूप से आवेदक (Bidder) के पूर्ववृत्त (antecedent) के स्व-प्रमाणीकरण प्रदान करते हुये रुपये 100/- के गैर-न्यायायिक स्टम्प पेपर में शपथ पत्र जमा करना होगा (परिशिष्ट-7 अनुसार)। लाइसेन्सी को लाइसेंस अनुबंध निष्पादित किये जाने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन (Police verification) स्वयं करवाकर नगर प्रशासन विभाग में प्रस्तुत करना होगा यदि निश्चित समय अवधि में लाइसेन्सी द्वारा पुलिस सत्यापन (Police verification) प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवंटन तत्काल निरस्त किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
7. आवेदक की स्थिति आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी होने पर उसी के अनुसार संबंधित दुकान हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जायें। जिस श्रेणी हेतु दुकान आरक्षित की गई है उसका आवंटन उसी श्रेणी में उच्चतम (H-1) आवेदक को किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र परिशिष्ट-10 (जो लागू हो) के अनुरूप होना आवश्यक है।
8. आवंटी को एक परिसर का आवंटन होने पर अन्य परिसर (दूसरा या अनुवर्ती) जिसके लिए निविदा प्रक्रिया बुलाई गई है, के आवंटन में बाधा नहीं होगी। तदुपि किसी भी दशा में आवंटी को दुकान के लिए तीन से अधिक समवर्ती अनुज्ञा (Concurrent License) नहीं दी जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक को यदि किसी आवेदक के पास में तीन अनुज्ञाएं (license) होंगी तो उसकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

निरंतर.....

9. सफल आवेदक (Bidder) को (क) प्रतिभूति जमा (Security Deposit) के रूप में 12 (बारह) माह के मासिक लाइसेंस शुल्क (जिस मासिक दर पर अस्थाई आवंटन किया जाएगा) के समकक्ष राशि एवं (ख) एक माह का लाइसेंस शुल्क (जी.एस.टी. अतिरिक्त) आशय पत्र/संबन्धित ई-मेल की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अग्रिम में जमा करना होगा।
10. उपर्युक्त अनुसार लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति जमा का भुगतान नियत समय अवधि में करने से 7 (सात) दिनों के भीतर अथवा आशय पत्र जारी होने के एक माह दोनों में से जो भी अवधि अधिक हो उसके भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाए।
11. आवेदक द्वारा लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क लागू किया जाएगा। इस हेतु मासिक बिल की प्रति लाइसेंसी द्वारा प्रभारी, राजस्व अनुभाग, नगर प्रशासन, बीएचईएल, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मासिक बिल जारी होने की दिनांक से 10 (दस) दिनों के भीतर अथवा हर माह की 24 (चौबीस) तारीख दोनों में से जो भी पहले हो तक बिलों का भुगतान कर इसकी प्रमाणित प्रति प्रभारी, राजस्व अनुभाग को आवश्यक रूप से प्रदान की जानी होगी। लाइसेन्सी की सुविधा के लिए निम्नलिखित माध्यम से भुगतान स्वीकार्य किए जाते हैं :
 - ECS/NEFT/RTGS (इस हेतु विवरण परिशिष्ट-9 के संलग्नक के रूप में प्राप्त करें)
 - SBI Collect (<https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm>)
 - Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन राजस्व अनुभाग में देय।
12. सफल आवेदक को विद्युत/साफ सफाई एवं पानी आदि के लिए अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के आधार पर करना होगा।
13. एक या एक से अधिक दुकान हेतु सफल रहे किसी आवेदक को उन दुकानों हेतु अलग-अलग लाइसेंस जारी किया जाएगा जो कि किसी भी दशा में कुल तीन लाइसेंस से अधिक नहीं होंगे।
14. प्रारंभिक लाइसेंस अनुबंध की वैधता, अनुबंध निष्पादित किए जाने की दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। 5 (पाँच) वर्ष उपरांत दुकान रिक्त कर बी.एच.ई.एल. प्रबंधन को वापस सौंपनी होगी। लाइसेन्सी के आवेदन पर प्रबंधन के अनुमोदन उपरांत लाइसेंस की अवधि अधिकतम 2 (दो) बार आगामी 5-5 (पाँच-पाँच) वर्षों के लिए उस समय विद्यमान नीति/नियम अनुसार बढ़ाई जा सकती है। नवीनीकरण हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण दुकान नीति में विद्यमान नियम के अंतर्गत अथवा नवीनीकरण के समय लागू लाइसेंस शुल्क दोनों में से जो भी अधिक हो पर किया जाएगा। नवीनीकरण की दशा में पुनरीक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क के 12 माह के बराबर की प्रतिभूति राशि के रूप में लाइसेन्सी को जमा करना होगा। अथवा पुनरीक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क के 12 माह के बराबर की राशि से पूर्व में प्रदत्त प्रतिभूति जमा को समायोजित करने के उपरांत अंतर की राशि प्रतिभूति जमा के रूप में लाइसेन्सी को जमा करना होगा।
15. लाइसेंस अनुबंध की वैध अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से मासिक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाएगी जिसे उच्चतर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित किया जाएगा।
16. इस निविदा के अंतर्गत जारी किसी भी या सभी लाइसेंस को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार अपर महाप्रबंधक (नगरीय प्रशासन), बी.एच.ई.एल. भोपाल के पास सुरक्षित हैं।
17. निविदा अथवा/एवं लाइसेंस अनुबंध से जुड़े किसी भी वाद-विवाद की दशा में अपर महाप्रबंधक (नगरीय प्रशासन), बी.एच.ई.एल. भोपाल का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप, परिशिष्ट-9 के अनुसार रहेगी।

तकनीकी निविदा

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त दुकानों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/Shops/2025-26 दिनांक 24/05/2025

क्षेत्र : _____ मार्केट का नाम _____

वांछित दुकान नं. _____ (तालिका 2, 4 एवं 5 अनुसार)

वांछित व्यवसाय (तालिका 3 एवं 6 अनुसार) _____ (आवश्यक या सामान्य)

1 आवेदक का नाम : _____

2 पता : _____

3 दूरभाष नं.: _____ मोबाइल नं. _____ ईमेल _____

4 तकनीकी मापदण्ड :

क्र.	तकनीकी अर्हता	सहायक दस्तावेज़	टिप्पणी
1.	आवेदक की स्थिति : व्यक्ति/संस्था	व्यक्ति की दशा में स्वयं का पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड / वोटर आई.डी. आदि) अथवा संस्था की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति	संलग्न
2.	निविदा जारी होने की दिनांक तक आवेदक की आयु (व्यक्ति की दशा में) 18 वर्ष से अधिक	आयु के प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति (कक्षा 10 वी की मार्क शीट, आधार कार्ड / वोटर आई.डी. आदि)	संलग्न
3.	आवास का पता (भारत देश का नागरीक हो)	आधार कार्ड / वोटर आई.डी. आदि।	संलग्न
4.	बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में दुकानों हेतु तीन अनुज्ञाओं (लाइसेंस) से अधिक न हो	इस हेतु रुपये 100/- के गैर-न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न
5.	पूर्ववर्ती (antecedent) का शपथ पत्र	इस हेतु रुपये 100/- के गैर-न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट-7 अनुसार)	संलग्न
6.	दुकानों के आवंटन हेतु आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र	एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न फॉर्मेट के अनुसार (परिशिष्ट-10)	

(2) निविदा दस्तावेज शुल्क रु. 1180/- का विवरण : NEFT Detail/एम.आर. नं. _____ दिनांक _____

(3) धरोहर राशि जमा का विवरण : NEFT Detail/एम.आर. नं. _____ दिनांक _____

(4) आवेदक की स्थिति का विवरण : व्यक्ति/कंपनी/अन्य _____ (छायाप्रति संलग्न)

(5) स्थापना की पंजीयन संख्या (लागू होने पर) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(6) आवेदक का पेन/PAN (आयकर संबंधी) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(7) आवेदक का GSTIN (लागू होने पर) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(8) बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में आवेदक को पूर्व में आवंटित दुकानों का विवरण : _____ (विवरण संलग्न)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित तथ्य/ दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण हैं, इनमें से कोई भी जानकारी मिथ्या/कूटचिंत/त्रुटिपूर्ण अथवा किसी प्रकार से गलत नहीं है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि उपर्युक्त के संबंध में अपूर्ण जानकारी/दस्तावेज जमा करने अथवा भविष्य में बी.एच.ई.एल. द्वारा निविदा संबंधी अन्य जानकारी चाहे जाने पर मुझे सीमित अवधि के भीतर जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक निविदा पर विचार न करते हुए निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

वाणिज्यिक निविदा मुहरबंद लिफाफे में अलग से संलग्न है।

दिनांक : _____ स्थान : _____

नोट: एक से अधिक दुकान के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जाए।

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर

वाणिज्यिक निविदा

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त दुकानों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी।

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/Shops/2025-26 दिनांक 24/05/2025।

क्षेत्र : _____ मार्केट का नाम _____ वांछित

दुकान नं. _____ (तालिका 2, 4 एवं 5 अनुसार)

वांछित व्यवसाय (तालिका 3 एवं 6 अनुसार) _____ (आवश्यक या सामान्य)

1 आवेदक का नाम : _____

2 पता : _____

दूरभाष नं.: _____ मोबाइल नं. _____ ईमेल _____

आवेदक द्वारा उद्धृत (कोटेड) मासिक लाइसेंस शुल्क:

उद्धृत (कोटेड) दर (अंको में)	उद्धृत (कोटेड) दर (शब्दों में)
रुपये _____	रुपये _____ _____

उद्धृत राशि पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय

- (क) उद्धृत (quoted) राशि में काट-छांट को मान्य नहीं किया जायेगा, ऐसी वाणिज्यिक निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी एवं निविदाकार को अयोग्य माना जाएगा।
- (ख) अंको एवं शब्दों में उद्धृत (कोटेड) राशि में अंतर या अस्पष्टता पाए जाने पर शब्दों में उद्धृत (कोटेड) राशि को मान्य किया जाएगा।
- (ग) प्रत्येक दुकान हेतु अलग-अलग निविदा जमा करनी होगी।
- (घ) आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क से कम उद्धृत (कोटेड) राशि मान्य नहीं होगी।
- (ङ) तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों द्वारा किसी स्थल हेतु समान अधिकतम (H1) मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत करने की दशा में उन निविदाकारों से मोहर बंद लिफाफे में 07 दिवसों के भीतर पुनः वाणिज्यिक निविदा आमंत्रित की जायेगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर एवं मुहर

पूर्ववर्त (antecedent) संबंधी घोषणा

मैं,.....S/o, D/o, W/o.....उम्र.....वर्ष
निवासी.....मेसर्स.....(यदि लागू हो) घोषित
करता/करती हूँ कि मैंने आज दिन.....माह.....वर्ष को बी.एच.ई.एल. के आधिपत्य में लोक परिसर,
भोपाल में स्थित रिक्त दुकान को केवल उपयोग के लिए लाइसेंस के आधार पर आवंटन हेतु निविदा क्र. TAD/SC/Shops/2025-26
दिनांक 24/05/2025 के अंतर्गत अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

**मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी सिविल/अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं हूँ और न ही किसी पुलिस
थाने अथवा न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित है।**

उपर्युक्त कथन को असत्य पाये जाने की दशा में मेरा निविदा/लाइसेंस निरस्त किए जाने पर मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं
होगी एवं मैं इस संबंध में किसी भी राशि का भुगतान बी.एच.ई.एल. से वापस प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप एवं अन्य घटनाओं/आकस्मिक क्षतियों/अग्निकाण्ड/हानि
अथवा टूट-फूट होने की दशा में लाइसेंसदाता एवं अन्य कोई भी शासकीय निकाय किसी भी रूप में उत्तदायी नहीं होंगे और
मैं/संस्था/कंपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। मैं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा बी.एच.ई.एल. से प्राप्त नहीं
करूंगा/करूंगी।

मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि निविदा एवं “आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप” में वर्णित निबंधन एवं शर्तों का सख्ती
से पालन करूंगा।

संलग्न : रुपये 100/- के गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर प्राधिकार पत्र (लागू होने पर)

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

व्यक्ति/संस्था/कंपनी/फर्म का नाम

पदमुद्रा एवं पता :



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal

(A Govt. of India undertaking)

उत्कृष्टता की ओर अग्रसर

"Marching Towards Business Excellence"

TO WHOM SO EVER IS CONCERNED.

Details for receiving Bank Account for NEFT/RTGS payment.

1. Name of Beneficiary : BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.
2. Name of the Bank : State Bank of India
3. Bank of Branch Address : HET, Piplani, Bhopal (M.P.)-462021
4. Account No. : 30855948540
5. IFSC Code : SBIN0000519
6. MICR : 462002011
7. Title of Account : Current Account
8. PAN No. : AAACB4146P

Place: Bhopal

Date : 19-01-2016

Chetana Mehar
19/01/16
चेतन मेहर
Signature & Seal
CHETAN MEHAR
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
Sr. Manager (Finance)
बी.एच.ई.एल. भोपाल / BHEL, BHOPAL

We certify that the above bank details are correct as per our record.

SK. JAIN
21/1/16
Banker Signature & Seal
SK. JAIN
SBN-2917

भोपाल : 462022, दूरभाष : 2500100 (7 लाईन्स), फैक्स : 0755 - 2500425, तार : भारतइलेक
Bhopal : 462022, Phone : 2500100 (7 Lines), Fax : 0755 - 2500425, Gram : BHARATELEC
WEB SITE ADDRESS : www.bhelbhopal.com

आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध ----- (दिनांक)----- (माह) ----- (वर्ष) को तैयार कर निष्पादित किया गया है जो प्रथम पक्षकार के रूप में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसकी एक इकाई ----- नगर प्रशासक के माध्यम से संचालित है (जिसे इसके पश्चात 'कंपनी' संबोधित किया गया है), उक्त संबोधन में जहाँ संदर्भ निहित हो इसके उत्तराधिकारी, स्वत्वधारी और हस्तांतरिती सम्मिलित हैं

तथा

श्री/श्रीमती ----- पति/पत्नी श्री ----- जो कि मैसर्स ----- निवासी ----- के नाम तथा रूप से व्यवसाय संचालित कर रहे हैं (जिसे इसके पश्चात दूसरे पक्षकार के रूप में 'अनुज्ञापी' संबोधित किया गया है)।

संदर्भ के अनुरूप, कंपनी और अनुज्ञापी को व्यक्तिगत रूप से 'पक्षकार' और 'संयुक्त' रूप से पक्षकारगण संबोधित किया गया है।

कथन

यह कि:

- (क) कंपनी बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित ----- परिसर का स्वामी है जिसे विशेष रूप से अनुसूची ----- में विस्तार से वर्णित किया गया है (इसके पश्चात इसे 'परिसर' संबोधित किया गया है)।
- (ख) लागू नीतियों के अनुसार, कंपनी के प्रभावी विधान व नीतियों के अनुरूप संबंधित परिसर से पूर्णतः आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर व्यापार के संचालन हेतु व्यक्तियों को सम्मिलित करने की कंपनी इच्छुक है।
- (ग) इसके अनुसरण में कंपनी ने अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम एवं शर्तों के अनुसार आगे वर्णित अग्रिम नीतामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) अपनाई है।
- (घ) संबंधित परिसर में आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर अनुज्ञापी के रूप में आमेलन के इच्छुक होने के कारण अनुज्ञापी को दिनांक ----- को संपन्न उपर्युक्त वर्णित अग्रिम नीतामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई।
- (ङ) कंपनी की लागू नीतियों, अधिसूचना दिनांक ----- में वर्णित नियम एवं शर्तों तथा अनुज्ञापी द्वारा इस आशय की घोषणा कि वह अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम व शर्तों की पूर्ति करता है तथा वह उसके अनुरूप सर्वथा योग्य हैं तथा इसमें प्रतिभागिता करने से किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं हैं, पर कंपनी की आवंटन समिति द्वारा अनुज्ञापी की निविदा/बिड स्वीकार्य की गई।

तदनुसार, इसमें निहित परस्पर प्रसंविदा (म्युचुअल कॉवनेंट्स) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा प्रदान करती है तथा अनुज्ञापी उक्त अनुज्ञा को परिसर में व्यवसाय (व्यवसाय जिसे कंपनी ने खंड 2.1 में प्रतिबंधित व्यवसाय अधिसूचित नहीं किया है) को दिनांक ----- से ----- माह की अवधि के लिए चलाने हेतु स्वीकार करता है, इसमें यह देखा जाना अनिवार्य होगा कि अनुज्ञापी ने खंड 3.1 के अनुसार उक्त अवधि के दौरान रूपए ----- का मासिक अनुज्ञा शुल्क बिना विलम्ब के जिम्मेदारी से भरा हो तथा खंड 1.3 के अनुसार प्रतिभूति जमा करने के साथ ही अनुबंध में निहित शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन किया हो।

1.0	अवधि, प्रभावी दिनांक, इत्यादि।
1.1	इस अनुबंध के तहत जारी अनुज्ञा, अनुबंध निष्पादन किए जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।
1.2	अनुज्ञा की वैधता, प्रभावी दिनांक से कुल ----- माह की अर्थात् ----- तक मानी जाएगी।
1.3	अनुज्ञा के नियम एवं शर्तों के अनुसार 12 (बारह) महीने के अनुज्ञा शुल्क के बराबर की राशि ए.टी.एम./डेबिट कार्ड/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत अनुज्ञापी को परिसर का कब्जा करने की अनुमति होगी।
1.4	अनुज्ञा की धरोहर राशि, यदि कोई हो, निविदा/बोली के साथ संलग्न की जाएगी जो भुगतान की गई प्रतिभूति जमा में समायोजित कर ली जाएगी।
1.5	अनुज्ञा के निरस्तीकरण अथवा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञापी द्वारा परिसर को रिक्त करने और कंपनी को भौतिक रूप से कब्जा रहित परिसर सौंपने पर अनुज्ञापी से शेष वसूली की राशि की कटौती पश्चात प्रतिभूति जमा (Security Deposit) (ब्याज रहित) वापस की जाएगी।
1.6	इस अनुज्ञा के किसी भी नियम अथवा शर्त के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति जमा पूर्णतः अथवा उसका अंश भाग कंपनी के विवेकानुसार राजसात/जब्त कर लिया जाएगा।
1.7	इस अनुबंध के तहत अनुज्ञापी द्वारा अपने उत्तरदायित्व में चूक नहीं करने और इस संबंध में नियम व शर्तों के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा पूर्व पारस्परिक अनुबंध होने पर अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है।
2.	व्यवसाय के प्रकार:
2.1	कंपनी द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित तथा आवश्यक व्यवसायों की सूचियाँ अधिसूचित की जाएंगी। ऐसे व्यवसाय जिन्हें कंपनी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, परिसर से संचालित नहीं किए जाएंगे।
2.2	अनुज्ञापी एतद्द्वारा सहमत और वचनबद्ध हैं कि वह ऐसा कोई व्यवसाय परिसर से संचालित नहीं करेगा जिसे कंपनी द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
2.3	<u>आवश्यक व्यवसाय के लिए</u> : अनुज्ञापी यह समझता है और इस बात से सहमत है कि आवश्यक व्यवसाय हेतु उसे आवंटित परिसर हेतु वह न तो व्यवसाय में परिवर्तन का अनुरोध ही करेगा और न ही कंपनी इस हेतु उसे अनुमति प्रदान करेगी।
2.4	<u>सामान्य व्यवसाय के लिए</u> : अनुज्ञापी जिन्हें सामान्य व्यवसाय के लिए परिसर आवंटित किया गया हो वे आवश्यक व्यवसाय सहित किसी एक या एक से अधिक व्यवसायों को अपना सकते हैं जिसके लिए कंपनी की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही, अनुज्ञापी द्वारा आवश्यक व्यवसाय अपनाने पर व्यवसाय में ऐसे परिवर्तन हेतु अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में कोई परिवर्तन/छूट नहीं दी जाएगी।
3.0	अनुज्ञा शुल्क, इत्यादि:
3.1	अनुज्ञापी रुपये ----- (रुपये ----- मात्र) की राशि का मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में भुगतान करेगा।
3.2	प्रथम माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अनुबंध हस्ताक्षरित करने की दिनांक को किया जाएगा।
3.3	इस अनुबंध की अवधि के प्रथम वर्ष यथा; दिनांक ----- से ----- के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम दिन को बिना किसी आपत्ति या शर्त के और इस संबंध में कंपनी द्वारा लिखित मांग के लिए दबाव डाले बिना करना होगा।
3.4	इस अनुबंध की अवधि के दौरान, खंड 3.1 वर्णित अनुज्ञा शुल्क इस अनुबंध के प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से बढ़ाया जाएगा जिसे उच्चतर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित (rounded off to the next higher ten Rupees) किया जाएगा।
3.5	अनुज्ञापी बड़ी हुई अनुज्ञा शुल्क का भुगतान उक्त वर्ष के दौरान खंड 3.3 में निर्धारित रीति अनुसार करेगा। अनुबंध की अवधि के दौरान इस प्रक्रिया का अनुसरण आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।
3.6	उपर्युक्त वर्णित विधि के अनुसार अनुज्ञा शुल्क का उचित एवं समय पर भुगतान इस अनुबंध का महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा तथा अनुज्ञापी यह समझे कि नियत दिनांक तक देय भुगतान न होना इस अनुबंध के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों में मूलभूत कमी मानी जाएगी।

3.7	अनुज्ञा शुल्क की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा शुल्क प्राप्ति की पावती रसीद अवश्य जारी करे।
3.8	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि अनुज्ञापी को आवंटित आवासीय क्षेत्र अनुज्ञप्त परिसर का हिस्सा माना जाएगा। तदनुसार अनुज्ञा शुल्क की गणना की जाएगी। (जो परिसर बिना आवासीय क्षेत्र के आवंटित हैं उन मामलों में खंड 3.8 को विलोपित माना जाएगा)।
4.0	कंपनी की आवश्यकता के लिए परिसर को खींचा जा सकता है।
4.1	अनुज्ञापी द्वारा परिसर पर कब्जे की अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी को उस परिसर की आवश्यकता होने पर कंपनी अनुज्ञापी को उक्त परिसर से किसी अन्य लगभग समान लोकेशन के परिसर में जाने हेतु कह सकती है और तदनुसार कंपनी के लिए अनुज्ञापी स्वयं के व्यय पर निर्धारित समयावधि में पूर्व परिसर से नए परिसर में स्थानांतरित होगा। उपर्युक्त वैकल्पिक दुकान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कंपनी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा समाप्त कर सकती है।
5.0	अनुज्ञा की प्रकृति तथा अनुज्ञाका हस्तांतरण/समनुदेशन (असाइमेंट) पर प्रतिबंध
5.1	यह कि उक्त परिसर के अनुज्ञापी को अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध में वर्णित प्रयोजन के लिए उक्त परिसर के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा प्रदत्त अनुमति द्वारा केवल अनुमत अधिकार होंगे। अनुबंध में वर्णित प्रावधान का कहीं भी आशय किराएदारी के सृजन अथवा अनुज्ञप्त परिसर हेतु अनुज्ञापी के पक्ष में अनन्य अधिकार से नहीं है तथा उनका अधिकार मात्र अनुज्ञापी के रूप में ही है।
5.2	यह कि अनुज्ञापी इस अनुज्ञा को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को न तो समनुदेशन/हस्तांतरित करेगा और न ही उक्त परिसर अथवा उसके किसी भाग को उप अनुज्ञा करेगा तथा इससे जुड़ा किसी प्रकार का विशेषाधिकार किसी भी रीति में किसी अन्य को प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञापी इस अनुज्ञा में प्रदत्त किए गए प्रयोजन हेतु ही परिसर का उपयोग करेगा। इस शर्त का उल्लंघन पाए जाने की दशा में (किसी अन्य कार्रवाई जिसके लिए वह अधिकृत हो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) अनुज्ञा को अविलंब समाप्त किया जाएगा।
6.0	विधियों का अनुपालन
6.1	यह कि ऐसी अवधि जिस के दौरान अनुज्ञा प्राप्त परिसर अनुज्ञापी के कब्जे में रहता है अनुज्ञापी केन्द्र और राज्य द्वारा अपने व्यापार के लिए या अनुज्ञप्त परिसर के प्रयोग के लिए लागू कानूनों और नियम व अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है और उक्त प्रावधानों का अनुपालन स्वयं के खर्च पर वहन करने को तैयार है। विशेष रूप से आने होने वाली व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापी बाल नियोजन अधिनियम 1938, दुकान एवं व्यावसायिक स्थापना अधिनियम, आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
6.2	अनुज्ञापी इस बात के लिये भी सहमत है कि वह अनुज्ञप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु सभी अनुज्ञा संबंधी आज्ञाओं, परमिट अथवा क्लीयरेंस जो संबंधित प्राधिकारियों से लेना आवश्यक है, स्वयं के व्यय तथा खर्च पर प्राप्त करेगा।
6.3	अनुज्ञापी इस बात का पालन करने के लिये भी तैयार है कि जब तक अनुज्ञप्त परिसर उसके कब्जे में है अथवा रहेगा तब तक वह अनुज्ञप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी से अनुमतियां स्वयं के व्यय पर प्राप्त करेगा।
6.4	यह है कि अनुज्ञप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर के उपयोग अथवा व्यापार संचालन के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को भुगतान/देय सभी कर (टैक्स), अधिभार (लेवी), उपकर (सेस), शुल्क अथवा प्रभार, समय-समय पर हुई वृद्धियों सहित का भुगतान अनुज्ञापी करेगा।
6.5	अनुज्ञापी यह जानते हैं और सहमत हैं कि जिस परिसर में उनका आधिपत्य है तथा इस अनुबंध के अंतर्गत है, उससे संबंधित सांविधिक अथवा स्थानीय अथवा नियामक प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा इस अनुबंध के अधीन व्यवसाय किया जा रहा है समय-समय पर संबंधित शासकीय अथवा स्थानीय प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकता है तथा उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई कोई टिप्पणी अथवा आदेश का अनुपालन अनुज्ञापी स्वयं के खर्च पर करेगा।

6.6	लागू प्रावधानों के संबंध में कोई उल्लंघन अथवा अवहेलना के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के दंड (फाइन) अथवा शास्ति (पेनाल्टी) का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
6.7	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञादाता/कंपनी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का हिरसा नहीं बनेगा तथा अनुज्ञप्त परिसर के उपयोग के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए अनुज्ञादाता द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करेगा तथा केन्द्र अथवा राज्य के विधान, नियमों, नियमनों तथा किसी दिशा-निर्देशों अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा आदेशों का अनुपालन करेगा।
6.8	खण्ड 6.7 की शर्तों के अधीन अनुज्ञादाता द्वारा मांगी गई राशि का अनुज्ञापी द्वारा पूर्ण भुगतान बिना हील-हवाले के अविलंब किया जाएगा।
7.0	अनुज्ञापी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व
7.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञप्त परिसर से संचालित अपने व्यापार के संबंध में सभी प्रकार के जोखिम एवं उत्तरदायित्वों तथा ऋण व बकाया राशि के भुगतान हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा अनुज्ञापी के किसी भी कृत्य, अथवा लापरवाही, किसी अधिनियम से उपजे किसी सांविधिक अथवा अन्य ऋण, बकाया, अधिभार अथवा जोखिम हेतु कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
8.0	अनुज्ञप्त परिसरों की परिसीमा
8.1	अनुज्ञापी यह जानते और समझते हैं कि इस अनुज्ञा अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञा दीवारों और दरवाजों से परिसीमित क्षेत्र तक सीमित है। अनुज्ञप्त परिसर से लगा हुआ कोई खुला क्षेत्र अथवा सामने, पीछे या बाजू के बरामदे (यदि कोई) ग्राहकों, आगंतुकों, आदि हेतु कॉमन पैसेज के रूप में उपयोग किया जाएगा तथा अनुज्ञप्त परिसर का हिरसा नहीं माना जाएगा। ऐसे खुले क्षेत्र या बरामदे का उपयोग अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के भाग के रूप में किसी भी कार्य (विक्रय हेतु वस्तुओं के प्रदर्शन, आदि जैसे अन्य कार्यों सहित) हेतु नहीं किया जाएगा। बरामदे को पूर्णतया कब्जा मुक्त रखा जाए। सामने, पीछे, बाजू के बरामदा (यदि कोई) अथवा खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कब्जा अनधिकृत कब्जा माना जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही का जिम्मेदार अनुज्ञापी रहेगा।
8.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी रिवत भूमि पर न तो कब्जा करेगा और न ही अतिक्रमण करेगा तथा स्वयं का अनुज्ञप्त परिसर तक ही अपना उपयोग सीमित रखेगा। कंपनी की अनुमति के बिना इस खण्ड अथवा इससे पूर्व वर्णित खण्ड के अंतर्गत अतिक्रमण अनधिकृत कब्जा/अतिचार माना जाएगा, चाहे वह किसी भी समय किया गया हो।
9.0	विद्युत तथा जल प्रभार, जल-मल प्रभार, इत्यादि का भुगतान तथा भुगतान की चूक की दशा में कंपनी के अधिकार
9.1	यह कि अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि अनुज्ञप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर के संबंध में मांग की जाने पर वह सभी विद्युत तथा जल उपभोग प्रभार का पूरा भुगतान बिना हील-हवाले के करेगा। यदि कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से हों तो ऐसे प्रभार वास्तविक आधार (कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को सूचित करने) पर देय होंगे। कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से नहीं होने की दशा में कंपनी द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों के अनुरूप कंपनी द्वारा निर्धारित प्रभार का भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आरोपित व्यावसायिक कर (यदि कोई) का भुगतान भी अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
9.2	अनुज्ञापी इस बात से भी सहमत है कि वह सभी आवश्यक जल-मल प्रभार वहन करेगा तथा कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को भेजे गए बिलों को बिल प्राप्त होने की दिनांक के 7(सात) कैलेंडर दिनों के भीतर भुगतान करेगा, ऐसा नहीं होने पर 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जा सकेगी।
9.3	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि विद्युत/जल आपूर्ति के सभी बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने के दिनांक के 7(सात) कैलेंडर दिनों में करेगा। बिलों के भुगतान में चूक होने की दशा में सेवाओं की

	आपूर्ति कंपनी द्वारा बिना कोई सूचना के तथा अनुबंध को निरस्त करने के कंपनी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवरूद्ध/विच्छिन्न कर दी जाएगी।
9.4	खण्ड 9.1 के अनुसार बकाया राशि तथा प्रत्येक सेवा हेतु कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित पुनर्संयोजन प्रभार (रीकनेक्शन चार्ज) के साथ ही खण्ड 9.5 अनुसार भुगतान में चूक की वसूली के भुगतान उपरांत कंपनी द्वारा तुरंत सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
9.5	भुगतान में अनुज्ञापी से चूक होने पर अर्थदंड की वसूली कम से कम 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह या बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.50% (डेढ़ प्रतिशत) ब्याज की दर (दोनों में से अधिक) से की जाएगी।
10.0	अनुज्ञाप्त परिसर का रखरखाव
10.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञाप्त परिसर को सभी समय किराए योग्य स्थिति में बनाए रखने हेतु स्वयं के व्यय एवं लागत पर आंतरिक एवं बाह्य रखरखाव करेगा। तदपि, इस मद पर ऐसे व्यय एवं लागत हेतु आरक्षित अनुज्ञा शुल्क में छूट का दावा करने अथवा अनुज्ञा की अवधि बढ़ाने हेतु पात्र नहीं होगा।
10.2	अनुज्ञापी अनुज्ञाप्त परिसर को कंपनी की संतुष्टि के अनुरूप साफ-सुथरा बनाये रखने तथा स्वास्थ्यकारी स्थिति में बनाये रखेगा।
10.3	कंपनी के अनुरक्षण के प्रभारी अभियंता अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुज्ञापी को आवंटित परिसर के किसी भी भाग में कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के प्रयोजन के साथ ही आवश्यक मरम्मत तथा अन्य वार्षिक अनुरक्षण कार्यों हेतु पहुँच का अधिकार होगा।
10.4	यह कि अनुज्ञापी छोटी-मोटी मरम्मत अथवा अस्थायी आंतरिक कार्य को छोड़कर स्थायी प्रकार के विस्तार/परिवर्तन नहीं करेगा। किसी प्रकार के ढांचागत परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
10.5	यह है कि अनुज्ञापी उक्त परिसर में हुई किसी प्रकार की क्षति (सामान्य टूट-फूट को छोड़कर) को स्वयं के व्यय पर सही करवाएगा। इस संबंध में कंपनी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अनुज्ञापी पर अंतिम एवं बाध्य होगा।
10.6	अनुज्ञाप्त परिसर में बड़ी ढांचागत मरम्मत, यदि आवश्यक हो, कंपनी द्वारा करवाई जाएगी। कंपनी द्वारा इस प्रयोजन हेतु मरम्मत के लिए निर्धारित समयावधि के लिए अनुज्ञापी से परिसर खाली कराकर उसका आधिपत्य लिया जा सकता है।
10.7	कंपनी को उक्त परिसर के ऐसे आधिपत्य देने पर किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि के लिए क्षतिपूर्ति का कोई दावा अनुज्ञापी नहीं कर सकेगा। तदपि, अनुज्ञा अनुबंध की मूल अवधि को उस समयावधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिस अवधि के लिए अनुज्ञापी के पास परिसर का आधिपत्य नहीं था तथा ऐसी मरम्मत के कारण वह परिसर का उपयोग नहीं कर सका।
10.8	मरम्मत किए जाने के 6 (छः) माह की अवधि के भीतर अनुज्ञापी को अनुज्ञाप्त परिसर का आधिपत्य नहीं दिए जा सकने की दशा में अनुज्ञापी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
11.0	परिसर से आपत्तिजनक/अवांछित व्यक्तियों को हटाना
11.1	व्यापार के संचालन हेतु परिसर में अनुज्ञापी की उपस्थिति सामान्यतः बनी रहनी चाहिए।
11.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञाप्त परिसर में अथवा उससे संबद्ध परिसर में किसी कर्मचारी अथवा सहायक जिसकी उक्त परिसर में निरंतर उपस्थिति कंपनी द्वारा चिकित्सा, सुरक्षा अथवा किसी अन्य कारण वांछित नहीं हो, को उक्त परिसर से हटाएंगे, इस हेतु कंपनी द्वारा कारण बताना आवश्यक/बंधनकारी नहीं होगा। इस संबंध में कंपनी के नगर प्रशासन विभाग के प्रभारी का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12.0	अनुज्ञापी द्वारा पाईप लाइन, इत्यादि से छेड़छाड़ नहीं करना
12.1	अनुज्ञापी उन्हें आवंटित परिसर के ऊपर अथवा नीचे से जाने वाली पाइप लाइनों, गैस पाइप लाइनों, जल पाइप लाइनों, सीवेज पाइप लाइनों, टेलीग्राफ लाइनों, दूरभाष, अन्य केबल लाइनों तथा विद्युत लाइनों के साथ न तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा न ही उन्हें क्षतिग्रस्त करेगा।
13.0	अनुज्ञा भंग होने पर समाधान तथा अनुज्ञा का निरस्तीकरण

	वैसी परिस्थितियां जिनकी प्रकृति गंभीर न हो तथा जिनके कारण अनुज्ञा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता न हो (जैसे सामग्री/माल रखकर बरामदे को अवरुद्ध करना, दुकान को बढ़ाकर बरामदे तक ले आना, आदि) के कारण अनुज्ञा भंग होने पर अर्थदंड लगाने का उल्लेख इस खंड में किया गया है।
13.1	इस अनुबंध में अब तक विशिष्ट रूप से वर्णित प्रावधानों को छोड़कर अनुज्ञापी अथवा उनके कर्मचारी/एजेंट द्वारा इस अनुबंध के नियम व शर्तों को भंग करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में, कंपनी इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त समाप्ति/प्रतिसंहरण के अपने अधिकारों के बावजूद, अनुज्ञापी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कार्रवाई कर सकती है :- क) इस अनुबंध के किसी प्रावधान के उल्लंघन अथवा उसके अनुपालन न किए जाने पर उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 500/- (पाँच सौ) प्रतिदिन अर्थदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस अनुबंध के प्रावधानों का अनुज्ञापी द्वारा आदतन उल्लंघन पाए जाने की दशा में उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन की अर्थदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस संबंध में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि मांग जारी होने के 7(सात) कार्य-दिवसों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना है अन्यथा उसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जाएगी। ख) कंपनी अथवा अनुज्ञाप्त परिसर में किसी प्रकार की क्षति की भरपाई हेतु प्रतिभूति जमा को पूर्णता अथवा आंशिक रूप में जब्त किया जा सकता है। ग) प्रत्येक ऐसे उल्लंघन अथवा अनुपालन न किए जाने के मामले में अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग को अधिकतम 90 (नब्बे) दिवस हेतु निरुद्ध (सस्पेंड) किया जा सकता है।
13.2	इस अनुबंध में अन्यथा वर्णित बातों के बावजूद, यह अनुबंध उभयपक्ष द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण दर्शाए एक माह की लिखित सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा।
13.3	दुकान का आवंटन “जहाँ हैं-जैसी हैं” स्थिति के आधार पर किया जाएगा। किसी भी कारण परिसर को खाली कराने/अनुज्ञा की समाप्ति/निरस्तीकरण के समय, अनुज्ञा अवधि के दौरान व्यापार/व्यवसाय संचालित करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा परिसर में कराए गए निर्माण, अस्थायी निर्माणों, साज-सज्जा, आदि को तोड़ने/साफ करने हेतु किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति आवंटनी को नहीं की जाएगी।
13.4	खंड 13.2 के अनुसार अनुज्ञा की समाप्ति पर समाप्ति/खाली करने की सूचना अवधि के दौरान अनुज्ञापी उक्त परिसर से अपनी सभी सामग्री हटा लेगा तथा कंपनी को रिवत परिसर सौंपने के साथ ही परिसर में हुई टूट-फूट की मरम्मत करेगा।
13.5	अनुज्ञापी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण/ढांचा बनाया गया हो तो उसे स्वयं की लागत पर हटाएगा तथा परिसर को जिस दशा में उसे सौंपा गया था उसी दशा में जमा करेगा। यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि कोई ढांचा नहीं हटाया जाए तथा परिसर में बनाए रखा जाए तब कंपनी द्वारा उक्त निर्माण/ढांचे का मूल्यांकन किया जाएगा, जो अंतिम होगा तथा जिसका भुगतान एक उपयुक्त अवधि में अनुज्ञापी को किया जाएगा।
13.6	किसी भी कारण अनुज्ञा समाप्ति की दशा में अनुज्ञापी कंपनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा निवेश की वसूली अथवा अन्य वैकल्पिक परिसर के दावे का पात्र नहीं होगा।
13.7	अनुज्ञापी के दिवालिया होने अथवा मृत्यु अथवा वारिन्तिक दुराचरण (मोरल टरपिट्यूड) के अभियोग में न्यायालय द्वारा दंडित करने की दशा में अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।
13.8	अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिवत करना इस अनुबंध का सार है जिसके न होने पर कंपनी अनाधिकृत आधिपत्य हेतु अनुज्ञा शुल्क के 200% (दो सौ प्रतिशत) की दर से (किसी भी दशा में रुपये 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन से कम न हो) दंड प्रभार का दावा करने की पात्र होगी। यह राशि अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।
14.0	मुद्रांकन तथा निष्पादन संबंधी लागत
14.1	यह कि इस अनुबंध के मुद्रांकन तथा निष्पादन की लागत का वहन अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।

15.0	अनुज्ञापी को कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी यदि वह कंपनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसे अनुज्ञापी के व्यापार के अंतिम ज्ञात पते अथवा उपर्युक्त परिसर में अनुज्ञापी को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो। अनुज्ञापी द्वारा कंपनी को सूचना तब उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी जब वह पूर्ण पते तथा वांछित स्टाम्पे सहित इकाई के नगर प्रशासक के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो अथवा हस्त डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो।
16.0	मध्यस्थता/आर्बीट्रेशन
16.1	इस अनुबंध से उपजे अथवा इससे संबंधित उभयपक्षों के बीच किसी भी विवाद अथवा मतभिन्नता, जब तक कि वह लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम 1971 अथवा कोई अन्य सांविधिक अधिनियमन अथवा समय-समय पर उसमें संशोधन से बाहर न हो, एक एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एकल मध्यस्थ का मनोनयन कंपनी के इकाई प्रमुख द्वारा किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी तथा यह आर्बीट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 और उसमें समय-समय पर किए गए सांविधिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
17.0	शासित विधि
17.1	उपर्युक्त खंड 16 के प्रावधानों के अनुरूप उभयपक्षों का विवाद भोपाल (म. प्र.) के न्यायक्षेत्र के अधीन होगा।
	संपत्ति की अनुसूची भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड----- के ----- क्षेत्र में स्थित दुकान नं. -----, जिसका क्षेत्रफल -----(वर्गफीट)/आवासीय क्षेत्रफल ----- (वर्गफीट) है जो ----- तल पर है तथा इसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :- उत्तर में : दक्षिण में : पूर्व में : पश्चिम में :
	उपर्युक्त दिनांक तथा वर्ष को उभयपक्ष द्वारा गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। 1 गवाह (1) (2) 2 गवाह (1) (2) 1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर से 2 अनुज्ञापी का स्थाई पता नाम : निवास का पता : दूरभाष नं.

ANNEXURE III

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
आत्मज/आत्मजा _____ ग्राम/शहर _____
जिला/विभाग _____

राज्य/संघ क्षेत्र _____ जाति/जनजाति का है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निम्नांकित के अधीन मान्य है।

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघराज्य) आदेश 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघराज्य) आदेश 1951
- (अनुसूचित जाति व जनजाति जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश बंबई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1980, उत्तर पूर्वी प्रदेश (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जनजातियों (संशोधन) अधिनियम 1976 के संशोधन के अनुसार)
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश 1989
- * संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
- * संविधान (गोवा दमन व दियू) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- * संविधान (गोवा दमन व दियू) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978

2. ** यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती _____
श्री/श्रीमती _____ के माता/पिता को जिले/राज्य विभाग/संघीय क्षेत्र _____
में प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आधार पर प्रदत्त है जो _____
जाति/जनजाति का है और वह राज्य संघक्षेत्र _____ में _____
से (निर्धारित अधिकारी का नाम दें) प्रदत्त पत्र के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और उसका परिवार साधारणतः राज्य/
संघक्षेत्र के जिले /प्रांत के _____ गाँव/शहर में निवास करता है।

हस्ताक्षर

पदनाम _____

(कार्यालय मुहर सहित)

स्थान : _____

दिनांक : _____

राज्य/संघराज्य क्षेत्र _____

... 2/-

// 2 //

(अनुपयुक्त शब्दों को छोड़कर)

** केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के लिए लागू जो एक प्रदेश/संघराज्य क्षेत्र से प्रवासित हुए हैं (रोजगार समाचार 9/92)

ध्यान दें : साधारणतः निवास के लिए प्रयुक्त शब्दावली का वही अर्थ होगा जो उन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत की सूची :

- (1) जिला न्यायधीश/अपर जिला न्यायधीश/जिलाधिकारी/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश/उप मण्डल न्यायधीश/तालुका न्यायधीश/कार्यकारी न्यायधीश/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश रैंक से कम नहीं)
- (2) मुख्य महाप्रांत न्यायधीश/अपर मुख्य महाप्रांत न्यायधीश/महाप्रांत न्यायधीश
- (3) तहसीलदार रैंक से कम न रहने वाले राजस्व अधिकारी
- (4) क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसके परिवार रहता है।

**Form of Certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or
Scheduled Tribe in support of his claim**

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri / Shrimathi* / Kumari*, Son /
Daughter* of of Village / town* in District /
Division* of the State / Union Territory*
belongs to the Caste/ Tribe* which is recognised as a Scheduled
Caste / Scheduled Tribe*.

Under

- The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951
- * The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

(as amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Lists (Modification Order), 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976).

- * The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- * The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.
- * The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- * The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- * The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- * The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- * The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 1991
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 1991

2. ** This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste / Scheduled Tribe
Certificate
issued to Shri / Shrimathi* father / mother* of Shri / Shrimathi/
Kumari* of Village / Town* District/ Division* of the
State / Union Territory* who belong to the Caste/ Tribe* which
is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe* in the State / Union Territory
..... issued by the dated

.... 2/-

: 02 :

3. Shri / Shrimathi / Kumari* and / or* his / her* family
ordinarily reside(s) in the village / town* of..... District /
Division* of the State / Union Territory* of

Signature

Designation

(With Seal of Office)

Place. Date..

Union Territory

* Please delete the words which are not applicable

** Applicable in case if SCs, STs persons who have migrated from one state/ UT (Employment
News 9/92)

NOTE: The term 'Ordinarily' reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of
the Representation of the Peoples Act, 1950.

AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE CERTIFICATES

The under mentioned authorities have been empowered to issue Caste Certificates of
verification—

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner/
Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector / I class Stipendary Magistrate / Sub -
Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant
Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub - Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides.

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES IN SUPPORT OF HIS
CLAIM UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that son/ daughter of
..... of village
.....District/
Division in the State belongs to
the community which is recognised as a Backward Class under —

- * (i) Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated the 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I No. 186, dated 13th September 1993 and
- * (ii) Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary of Part I, Section I No.163 dated 20th October 1994.
- * (iii) Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24th May 1995 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I No.88 dated 25th May 1995.
- * (iv) Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I No.210 dated the 11th December 1996.

Shri and or his family

ordinarily reside(s) in the District/ Division of the State. This is also to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M.No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/1993.

District Magistrate/ Dy. Commissioner

Dated

Seal

* strike out whichever is not applicable

NB (a) The term* 'ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue caste certificates are indicated below: -

1. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ I class Stipendiary Magistrate /Sub – Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of I Class Stipendary Magistrate).
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
4. Sub - Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides.